राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1621/2007/भीलवाड़ा

मैसर्स मार्डन वूलन्स लिमिटेड,
भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त–भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :27.04.2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **26.05.2005**के विरूद्ध पेश की गयी है, जो मूल अपील संख्या 11/सीएसटी/1997–98/भीलवाड़ा व संशोधन प्रार्थना पत्र कमांक 01/सीएसटी/2005–06 के संबंध में पारित किया गया है, को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1994–95 का निर्धारण आदेश केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ''केन्द्रीय अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत् दिनांक 31.07.1997 को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये सेटऑफ रू.7,38,739/– को अस्वीकार किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त बिन्दु के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त बिन्दु पर प्रकरण को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 06.01.2005 के प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने पारित अपीलीय आदेश दिनांक 06.01.2005 दिनांक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, पूर्व में सेटऑफ के बिन्दु पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये सेटऑफ को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारिम्भक आपत्ति उठाकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2005 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु कोई विशिष्ट अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 47 की अवहेलना है। इस संबंध में कथन किया कि उक्त अपीलीय आदेश पारित होने के पश्चात् ही अपीलार्थी व्यवहारी को इस संबंध में ज्ञात हुआ। जिसके बाद अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सत्यापित प्रति प्राप्त की गयी जैसा कि इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड पत्रावली से स्पष्ट है। अतः पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को विधिक होने का कथन कर,अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीयबहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया व इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2005 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत् आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.05.2005 प्रेषित हुआ जिसका निस्तारण ***अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये ही बिना*** दिनांक 26.05.2005 को विवाधीन आदेश पारित किया गया है, जो नैसिर्गक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 37 (5) का अध्ययन किय गया जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि **"An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard."** अतः अधिनियम व नियम 47 के विशिष्ट प्रावधानों की पालना में अभाव में, पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त को अपास्त कर, प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का उचित अवसर प्रदान कर, गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी की अनुपस्थिति की दशा में, अपीलीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही

लगातार.....3

करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

22.4.2015

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य